भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-239

दिनांक 1 दिसम्बर, 2015 को उत्तर दिए जाने के लिए

.....

उर्वरक कंपनियों द्वारा प्रदूषण

239. श्री कारादी सनगन्ना अमरप्पा :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकतर रसायन और उर्वरक कंपनियां अपने अपशिष्टों को खुले में पाट रही हैं;
(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या इन कंपनियों को अपना अपशिष्ट पर्यावरणीय अनुकूल ढंग से निस्तारित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया गया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कंपनियों द्वारा अनुपालना की स्थिति क्या है ?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहिर)

(क) से (घ) : रसायन और उर्वरक कंपनियों द्वारा खुले क्षेत्रों में अपशिष्ट को पाटने के संबंध में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के पास कोई विशिष्ट सूचना नहीं है । इकाइयों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन निर्धारित पर्यावरण मानदंडों और राज्य/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणों के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार स्थापित किया जा रहा है । पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सभी प्रकार के अपशिष्ट की निगरानी करने के लिए नोडल मंत्रालय है ।

***